भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1631

29 जुलाई, 2026 के लिए प्रश्न

'एक देश, एक राशन कार्ड' योजना का कार्यान्वयन

1631. श्रीमती डिम्पल यादव:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ज़िले में 'एक देश, एक राशन कार्ड' (ओएनओआरसी) योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणाम क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत राज्य के भीतर और राज्यों के बीच सुवाह्यता का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों की वर्ष-वार, राज्य-वार और जिले-वार, विशेषकर उत्तर प्रदेश और मैनपुरी के लिए कुल संख्या कितनी है;

(ग) अनाज न मिलने, आधार अधिप्रमाणन में विफलता, बायोमेट्रिक बेमेल होने और तकनीकी खराबी के बारे में मिली शिकायतों की संख्या कितनी है और उन पर की गई कार्रवाई का राज्य-वार और जिले-वार, विशेषकर उत्तर प्रदेश और मैनपुरी के लिए ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने मैनपुरी में प्रवासी मज़दूरों और अन्य लाभार्थियों पर ऐसी समस्याओं के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) सरकार द्वारा उक्त ज़िले में राशन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने और शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) प्रणाली को सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले सहित) में लागू किया गया है, जिससे एनएफएसए लाभार्थी आधार-आधारित बायोमेट्रिक या ओटीपी प्रमाणीकरण के माध्यम से देश की किसी भी उचित दर दुकान से अपने पात्र खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। इसके शुभारंभ के बाद से (दिनांक 08.07.2026 तक), प्रवासी एनएफएसए लाभार्थियों को लाभ पहुंचाते हुए 221 करोड़ से अधिक सुवाह्यता लेनदेन दर्ज किए गए हैं।

.....2/-

(ख): पिछले तीन वर्षों के लिए राज्य के भीतर और राज्यों के बीच ओएनओआरसी लेनदेन की संख्या दर्शाने वाला राज्यवार विवरण **अनुबंध-I** में है और उत्तर प्रदेश के अंतर-राज्यीय और अंतर-राज्यीय ओएनओआरसी लेनदेन की जिलावार संख्या **अनुबंध-II** में है।

(ग) और (घ): सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत कई प्रमाणीकरण मोड उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें सिंगल फिंगर, फ्यूजन फिंगर, आइरिस (आईआरआईएस) और आधार-आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण शामिल हैं।

यदि परिवार के किसी एक सदस्य का प्रमाणीकरण विफल हो जाता है, तो राशन कार्ड से जुड़े परिवार के अन्य पात्र सदस्य प्रमाणीकरण कर सकते हैं और खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, विशेष मामलों में नामित व्यक्ति की सुविधा भी प्रदान की गई है, जिससे लाभार्थी किसी अन्य व्यक्ति को अपनी ओर से राशन लेने के लिए अधिकृत कर सकते हैं। ई-पीओएस उपकरण सीमित/बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऑफलाइन मोड में काम करने की सुविधा प्रदान करते हैं। पीडीएस ऑनलाइन प्रणाली के साथ ऑफलाइन लेनदेन डेटा को सिंक करने के लिए ई-पीओएस उपकरणों को किसी नेटवर्क के साथ आवधिक रूप से जुड़ना अपेक्षित है।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श दिया गया है कि नेटवर्क/कनेक्टिविटी/लिंकिंग संबंधी समस्याओं, अन्य तकनीकी कारणों या लाभार्थी के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण में विफलता के कारण किसी भी वास्तविक लाभार्थी/परिवार को सब्सिडी वाले खाद्यान्न के पात्र कोटे से वंचित नहीं किया जाएगा।
इन उपायों से यह सुनिश्चित किया जाता है कि पात्र लाभार्थियों (प्रवासियों सहित) को उनकी पात्रता से वंचित न किया जाए।

(ड.): एनएफएसए लाभार्थियों के लिए निर्बाध राशन वितरण सुनिश्चित करने और शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपाय निम्नलिखित हैं:

i. डिजिटलीकरण और आधार सीडिंग: सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्ड/लाभार्थी डेटाबेस 100% डिजिटल किए गए हैं ; 99.7% राशन कार्ड आधार से जुड़े हुए हैं, जिससे फर्जी/डुप्लिकेट कार्ड हट गए हैं।

.....3/-

ii. पारदर्शिता और शिकायत निवारण: सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पारदर्शिता पोर्टल और ऑनलाइन शिकायत निवारण/टोल-फ्री हेल्पलाइन चालू है।

iii. ऑनलाइन आवंटन और आपूर्ति श्रृंखला का कम्प्यूटरीकरण: सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऑनलाइन आवंटन लागू किया गया है; 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (चंडीगढ़, पुडुचेरी और शहरी दादरा और नगर हवेली को छोड़कर, जिन्होंने डीबीटी नकद अंतरण को अपनाया है) में आपूर्ति श्रृंखला का कम्प्यूटरीकरण किया गया है ।

iv. एफपीएस स्तर पर ई-पीओएस आधारित आधार प्रमाणीकरण: 5.51 लाख उचित दर दुकानों में से 5.50 लाख (99.8%) दुकानें ई-पीओएस उपकरणों से स्वचालित हैं, जिससे वितरण स्थल पर लाभार्थियों का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सुनिश्चित होता है और हेराफेरी पर अंकुश लगता है।

v. एक राष्ट्र एक राशन कार्ड : देशव्यापी पोर्टेबिलिटी को सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया गया है, जिसमें पीएमजीकेएवाई के सभी लाभार्थी शामिल हैं; अब तक 221 करोड़ से अधिक पोर्टेबिलिटी लेनदेन दर्ज किए गए हैं, जिससे बहिष्करण और डुप्लिकेट पात्रता दावों की पुनरावृत्ति में कमी आई है।

vi. उचित लक्ष्यीकरण: आधार/पीडीएस डेटा विश्लेषण का उपयोग करके डुप्लिकेशन हटाने और लाभार्थी सत्यापन के समर्पित कवायद के परिणामस्वरूप अपात्र/डुप्लिकेट लाभार्थियों की पहचान और उन्हें हटाने में सफलता मिली है, जिसमें 5.95 करोड़ चिह्नित लाभार्थी (भूमि स्वामित्व मामलों को छोड़कर) और 2.35 करोड़ हटाए गए लाभार्थी शामिल हैं।

vii. स्मार्ट-पीडीएस सुधार पहल : राज्य स्तरीय टीपीडीएस संचालनों को और अधिक मानकीकृत और डिजिटल रूप से एकीकृत करने के लिए राशन कार्ड प्रबंधन, वितरण, आपूर्ति श्रृंखला और शिकायत निवारण के मॉड्यूल के साथ इसे लागू किया जा रहा है।

viii. निर्मल और सक्षम: सार्थक-पीडीएएस व्यापक योजना (2026-31) के तहत नई पहलें, जिनका उद्देश्य डाटा वास्तुकला/विश्लेषिकी (निर्मल) को सुदृढ़ करना और खाद्यान्न की खरीद से लेकर लाभार्थियों तक वितरण की संपूर्ण प्रक्रिया (सक्षम) में वास्तविक समय डाटा एकीकरण (वीएलटीएस सहित) सुनिश्चित करना है।

******

अनुबंध-I

लोकसभा में दिनांक 29.07.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1631 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

अंतर-राज्यीय और अंतरा-राज्यीय ओएनओआरसी लेनदेन की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	2023		2024		2025	
		अंतर-राज्यीय	अंतरा-राज्यीय	अंतर-राज्यीय	अंतरा-राज्यीय	अंतर-राज्यीय	अंतरा-राज्यीय
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	176	14,036	340	16,145	162	20,974
2	आंध्र प्रदेश	5	2,34,79,098	-	2,52,17,768	159	2,73,25,769
3	अरुणाचल प्रदेश	-	-	3	88	-	-
4	असम	50	7,30,739	423	3,46,159	766	3,23,605
5	बिहार	12,044	9,10,77,707	53,521	10,85,89,164	84,747	13,22,36,310
6	छत्तीसगढ	70	-	3,892	-	8,131	24,67,157
7	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव	50,322	48,067	1,02,189	45,925	1,03,028	71,021
8	दिल्ली	31,32,502	19,71,226	49,75,113	84,12,837	58,11,947	89,55,049
9	गोवा	5,445	17,484	20,725	32,127	30,127	46,525
10	गुजरात	1,21,015	13,20,620	1,98,559	18,39,523	2,11,316	24,13,252

11	हरियाणा	4,42,865	1,15,25,158	7,09,555	2,08,47,555	9,33,610	2,23,82,138
12	हिमाचल प्रदेश	37,335	936	1,17,600	99	-	31
13	जम्मू और कश्मीर	37,678	6,24,950	74,094	8,24,961	81,350	9,01,219
14	झारखंड	11,661	33,18,280	21,942	45,25,665	25,666	47,50,107
15	कर्नाटक	4	1,25,62,916	-	1,24,65,740	-	1,17,69,583
16	केरल	11,984	1,35,15,222	30,805	1,49,34,998	38,250	1,62,63,082
17	लद्दाख	118	87	302	2,724	92	9,205
18	लक्षद्वीप	-	11,056	1	19,960	-	18,036
19	मध्य प्रदेश	16,190	1,45,64,873	58,836	1,68,48,549	58,367	1,81,85,859
20	महाराष्ट्र	2,34,020	1,17,48,227	6,70,750	1,34,77,593	8,74,642	1,46,62,510
21	मेघालय	75	75	149	104	221	81
22	मिजोरम	137	7,204	1	12,459	-	32,155
23	नागालैंड	17	20,411	7	30,531	-	47,160
24	ओडिशा	703	7,97,464	55	9,90,360	-	14,71,888
25	पुड्डुचेरी	-	-	-		1	2
26	पंजाब	1,788	31,32,668	13,836	1,27,00,112	47,145	1,61,04,357
27	राजस्थान	-	2,69,37,165	1,48,770	2,82,88,142	2,35,454	3,17,16,705

28	सिक्किम	638	6,460	1,271	26,387	1,044	8,690
29	तमिलनाडु	4,046	38,30,133	4,618	47,93,707	1,290	55,66,166
30	तेलंगाना	12,498	107	60,454	2,03,10,839	71,038	2,20,45,134
31	त्रिपुरा	1,162	4,08,210	5,192	3,49,973	5,494	3,89,302
32	उत्तर प्रदेश	-	2,98,13,083	165	3,66,43,138	636	4,27,88,650
33	उत्तराखंड	77,950	1,98,976	1,56,241	1,86,820	1,85,573	2,60,674
34	पश्चिम बंगाल	11,811	40,49,345	46,439	46,22,999	75,010	36,88,484
	सकल योग	**4,224,309**	**25,57,31,983**	**74,75,848**	**33,74,03,151**	**88,85,266**	**38,69,20,880**

अनुबंध-II

लोकसभा में दिनांक 29.07.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1631 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

उत्तर प्रदेश में अंतरराज्यीय और अंतराराज्यीय ओएनओआरसी लेनदेन की जिलेवार संख्या

क्र.सं.	जिला	2023		2024		2025	
		अंतरराज्यीय	अंतराराज्यीय	अंतरराज्यीय	अंतराराज्यीय	अंतरराज्यीय	अंतराराज्यीय
1	आगरा	0	6,16,981	2	8,34,704	0	9,73,429
2	अलीगढ	0	6,47,249	4	7,94,819	4	9,06,496
3	अम्बेडकर नगर	0	1,39,136	0	2,01,388	0	2,67,100
4	अमेठी	0	1,71,618	0	2,10,864	2	2,63,990
5	अमरोहा	0	2,34,694	2	2,94,508	0	3,29,019
6	औरैया	0	2,93,152	2	3,60,607	6	3,65,841
7	अयोध्या	0	2,78,478	0	3,54,571	0	4,04,321
8	आजमगढ़	0	2,59,941	0	3,52,746	2	4,24,059
9	बागपत	0	1,75,636	23	2,08,420	83	2,43,128
10	बहराइच	0	4,20,324	6	5,37,055	4	6,31,844
11	बलिया	0	5,34,397	2	6,29,124	6	6,93,083
12	बलरामपुर	0	2,09,231	0	2,83,765	4	3,52,531
13	बाँदा	0	2,83,304	0	3,45,136	4	4,13,224
14	बाराबंकी	0	5,37,484	4	6,36,427	10	7,25,010
15	बरेली	0	7,52,162	4	9,26,465	2	10,28,712
16	बस्ती	0	1,93,996	0	2,53,708	0	3,13,268

17	भदोही	0	1,62,364	2	2,13,369	2	2,55,782
18	बिजनौर	0	4,05,952	0	5,07,309	4	6,21,460
19	बुदायूं	0	3,26,939	8	4,22,294	4	4,98,618
20	बुलन्दशहर	0	3,78,485	4	5,09,183	8	5,73,230
21	चंदौली	0	1,19,903	0	1,59,174	2	1,82,370
22	चित्रकूट	0	1,83,029	0	2,19,600	9	2,57,569
23	देवरिया	0	2,11,595	0	2,99,750	0	4,06,576
24	एटा	0	2,23,311	0	3,03,230	4	3,67,659
25	इटावा	0	2,09,615	0	2,78,793	0	3,38,103
26	फर्रुखाबाद	0	5,14,715	6	6,04,956	16	6,85,017
27	फ़तेहपुर	0	2,37,844	0	3,23,447	6	4,11,814
28	फिरोजाबाद	0	4,99,975	0	6,33,450	4	7,67,862
29	गौतमबुद्ध नगर	0	6,22,237	0	6,69,263	0	7,28,632
30	गाजियाबाद	0	9,59,729	2	11,19,232	0	13,21,611
31	गाजीपुर	0	2,63,999	0	3,49,850	8	4,22,036
32	गोंडा	0	5,68,638	0	6,64,014	2	7,22,845
33	गोरखपुर	0	4,67,111	4	5,64,433	2	6,64,381
34	हमीरपुर	0	2,18,916	0	2,59,849	4	3,02,585
35	हापुड	0	1,86,028	0	2,36,722	2	2,73,304
36	हरदोई	0	7,08,462	4	8,97,086	8	10,02,670
37	हाथरस	0	1,56,047	0	2,21,641	0	2,96,499
38	जालौन	0	3,45,764	0	4,02,583	28	4,53,912
39	जौनपुर	0	2,70,717	2	3,50,557	0	4,55,301

40	झांसी	0	4,45,193	14	4,97,801	101	5,60,679
41	कन्नौज	0	2,39,508	0	3,16,482	0	3,98,935
42	कानपुर देहात	0	2,06,278	0	2,96,495	2	3,79,693
43	कानपुर नगर	0	12,83,722	2	15,64,172	4	18,57,147
44	कासगंज	0	1,60,591	0	2,23,122	0	2,66,377
45	कौशांबी	0	1,71,194	0	2,02,491	2	2,62,908
46	खेरी	0	9,72,825	0	11,92,274	2	13,47,325
47	कुशीनगर	0	4,55,092	4	5,69,937	4	6,64,831
48	ललितपुर	0	1,86,175	0	2,40,817	0	2,82,319
49	लखनऊ	0	17,33,161	8	18,86,115	16	21,91,376
50	महाराजगंज	0	2,65,972	0	2,94,775	0	3,70,423
51	महोबा	0	1,79,752	0	2,15,107	56	2,73,028
52	मैनपुरी	0	2,14,745	2	2,89,361	0	3,64,828
53	मथुरा	0	4,81,553	4	5,96,938	4	6,58,477
54	मऊ	0	1,75,035	2	2,49,106	0	2,98,920
55	मेरठ	0	6,85,021	0	8,76,649	86	10,24,977
56	मिर्जापुर	0	1,14,869	4	1,67,543	0	2,26,231
57	मुरादाबाद	0	6,14,051	4	7,36,819	2	8,15,431
58	मुजफ्फरनगर	0	5,87,185	2	5,93,070	4	6,97,490
59	पीलीभीत	0	2,79,991	2	3,46,758	0	4,51,264
60	प्रतापगढ़	0	3,38,199	2	4,12,859	4	4,83,071
61	प्रयागराज	0	8,46,815	2	10,54,838	2	11,82,835
62	रायबरेली	0	3,30,148	0	3,96,691	2	4,76,406

63	रामपुर	0	2,52,258	8	3,06,225	2	3,29,598
64	सहारनपुर	0	3,03,466	4	3,59,163	2	3,94,598
65	संभल	0	3,73,127	8	4,53,271	0	4,74,953
66	संतकबीरनगर	0	1,61,874	0	1,92,580	0	2,61,541
67	शाहजहांपुर	0	6,50,746	6	7,91,376	8	8,87,737
68	शामली	0	2,03,207	0	2,55,838	0	2,98,351
69	श्रावस्ती	0	1,57,009	0	1,88,354	2	1,88,489
70	सिद्धार्थनगर	0	2,07,444	0	2,62,006	6	3,15,988
71	सीतापुर	0	10,39,906	0	12,70,806	72	15,22,710
72	सोनभद्र	0	4,06,841	0	5,44,014	10	5,76,495
73	सुल्तानपुर	0	3,05,701	2	3,85,498	0	4,77,759
74	उन्नाव	0	4,24,939	0	5,08,157	0	6,11,573
75	वाराणसी	0	3,70,332	4	4,71,538	3	5,68,996
	सकल योग	**0**	**2,98,13,083**	**165**	**3,66,43,138**	**636**	**4,27,88,650**